



स्कूल वाउचर्स फॉर गल्स



22 जुलाई 2009

श्री राम मंदिर

स्कूल चयन अभियान



दिल्ली वाउचर परियोजना एकशन फॉर स्कूल एडमिशन रिफॉर्म्स मेरा वोट! मेरी पसंद! अभियान





वाउचर का सिद्धांत

वाउचर क्या हैं?

- अहस्तांतरणीय, एकमात्र उपयोग, मौद्रिक उपकरण

वाउचर ही क्यों?

- पारदर्शिता, कार्यकुशलता, सशक्तीकरण



शिक्षा चयन का अधिकार!

SCHOOL CHOICE


वर्तमान शिक्षा प्रणाली



सरकारी स्कूल



सरकार



छात्र

Fund Students,
Not Schools!

स्कूल चयन प्रणाली



छात्र



सरकार



सरकारी स्कूल

वाउचर
फण्ड

वाउचर्स

स्कूल वाउचर देकर विद्यार्थियों को स्कूल चुनने के विकल्प दिए जा सकते हैं। अभिभावकों को दिए हुए विकल्पों में से अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम स्कूल चुनने की ताकत मिलती है, इस तरह उन्हें सर्वोत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग करने की ताकत मिलती है।

स्कूल वाउचर्स फॉर गर्ल्स



जागरूकता और उपयोग

- प्रचार-प्रसार (साया)

चुनाव और स्कूल

- कंप्यूटर प्रोग्राम
- स्थानीय नेताओं के सामने
- एफीलिएटेड स्कूल

चयन और आवाज

- अभिभावक सूचना गाइड
- रीसर्च डॉक्यूमेंटेशन
(सीएमएस)



परियोजना विवरण



7 वार्ड (उत्तर-पूर्व दिल्ली)

(वेलकम कॉलोनी, चौहान बांगड़, जाफराबाद, न्यू उस्मानपुर,
मौजपुर, जनता कॉलोनी, बाबरपुर)

1600+ आवेदन

35 एफीलिएटेड स्कूल

400 वाउचर
3700 रु. – 4000 रु. सालाना
2009 से 2013

□ एफीलिएटेड स्कूलों की सूचना

- शुल्क स्ट्रक्चर, खेल का मैदान, पेयजल, पुस्तकालय, परिवहन, महिला शौचालय, etc.

□ एफीलिएटेड स्कूलों का संपर्क

- संपर्क, व्यक्ति, पता, फोन

- स्कूल चुनने संबंधी दिशा—निर्देश
 - एफीलिएशन और स्थान
 - साफ—सफाई
 - दाखिला प्रकृया
 - शैक्षिक प्रदर्शन
 - अतिरिक्त सुविधाएं
 - शिकायत प्रक्रिया और अन्य सहयोग

पेमेंट सूचना



	शैक्षणिक सत्र	वाउचर राशि	वाउचर देने का समय
1.	2009 – 2010	Rs 3700	अगस्त 2009
2.	2010 – 2011	Rs 3800	अप्रैल 2010
3.	2011 – 2012	Rs 3900	अप्रैल 2011
4.	2012 – 2013	Rs 4000	अप्रैल 2012

वाउचर का उपयोग कैसे करें?

- वाउचर के पीछे हस्ताक्षर करना ना भूलें।
- आपको हर साल चार वाउचर मिलेगा।
- सालाना या त्रौमासिक भुगतान।
- अगर आप स्कूल से सन्तुष्ट नहीं हैं तो साल के मध्य में आप वाउचर के उपयोग से स्कूल बदल सकते हैं।

अभिभावकों की जिम्मेदारियां



- बच्चों की स्कूलों मे नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना
- नए स्कूल जाने के लिए बच्चों को अपने खर्च पर यातायात की सुविधा देना
- बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था खुद करना
- जब भी जरूरत हो छात्रवृत्ति पाने वाले नए बच्चों के लिए अपने अनुभव देना
- स्कूल की अभिभावक शिक्षक मीटिंग में उपस्थित होना और बच्चों के दस्तावेजों / स्कूल से संबंधित दस्तावेजों को संभाल कर रखना
- इस अवधि में किसी भी समय अपना पता बदलने या एससीसी / सीसीएस को दी गई किसी सूचना में परिवर्तन होने पर एससीसी / सीसीएस को लिखित सूचना देना

अभिभावकों के लिए नियम व शर्तें



छात्रवृत्ति के नियम

- 1 यह पूर्णतः स्कूल च्वाइस कैपेन की परियोजना है और इसका किसी सरकारी निकाय से कोई संबंध नहीं है।
- 2 यह छात्रवृत्ति सिर्फ ऐसी चयनित छात्राओं को प्रदान की जाएगी, जो इस योजना के तहत इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय किसी भी चुने हुए वार्ड के अंतर्गत आने वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ रही हो। छात्रा का नाम किसी निजी विद्यालय में दर्ज नहीं होना चाहिए।
- 3 इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले अभिभावकों को, यदि छात्रा को छात्रवृत्ति मिलती है, तो छात्रा को सरकारी विद्यालय से निकाल कर सूची में शामिल किसी निजी विद्यालय में दाखिल कराने के लिए तैयार रहना चाहिए। अन्यथा छात्रा छात्रवृत्ति पाने के लिए योग्य नहीं मानी जाएगी।
- 4 लाभार्थियों का चुनाव रेंडम पद्धति से किया जाएगा। इसमें स्वच्छता और पारदर्शिता बरती जाती है तथा सभी योग्य छात्राओं को समान अवसर मिलता है।



अभिभावकों के लिए नियम व शर्तें

- 5 इस योजना के तहत छात्रवृत्ति चार सालों के लिए या पांचवीं कक्षा तक, जो भी पहले पूरा हो, दी जाएगी। साथ ही छात्रा का हर साल ऊपर की कक्षा में प्रोत्तरत होना जरूरी है।
- 6 छात्रवृत्ति अभिभावक द्वारा चुने सूचीबद्ध विद्यालय में चुनी हुई छात्रा की शिक्षा पर होने वाले खर्च के लिए दी जाएगी और यह इस दस्तावेज में किसी अन्य जगह दर्ज अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी। साथ ही यह राशि सीधे विद्यालय को अदा की जाएगी।
- 7 प्रति छात्रा छात्रवृत्ति की राशि प्रथम वर्ष अधिकतम 3700 रुपए (सिर्फ सैंतीस सौ भारतीय रुपए) होगी। हर आगामी साल इस राशि में सौ रुपए (सिर्फ एक सौ भारतीय रुपए) की बढ़ोतरी की जाएगी।
- 8 लाभार्थियों के अभिभावक यदि वर्तमान स्कूल से संतुष्ट नहीं हों, तो वे अपनी बच्ची को सूची में शामिल किसी दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होंगे, लेकिन उन्हें लिखित रूप में एसीसी या सीसीएस को इसकी सूचना और नए स्कूल में दाखिले के दस्तावेजी सबूत जमा करने होंगे।

अभिभावकों के लिए नियम व शर्तें



- 9 छात्रवृत्ति के वितरण की प्रकृया सूची में शामिल विद्यालय की सलाह से तय की जाएगी।
- 10 एससीसी या सीसीएस या इसके किसी भी प्राधिकृत एजेंट को यह अधिकार होगा कि वह कल्याण कार्य और आम रूप से सभी बच्चों के शैक्षिक अवसरों के लिए निरंतर सहयोग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए चुनी हुई बच्ची से संबंधित सूचनाओं का उपयोग इस परियोजना का प्रचार करने और / या परियोजना के लिए फँड उगाहने में करे।
- 11 एससीसी या सीसीएस या इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अन्य कोई संगठन आधारवर्ष और / या सालाना और / या अंतर्वार्षिक सर्वेक्षण और मूल्यांकन करेगा। उन्हें विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, मोटिवेशन लेवल में आए बदलाव और अभिभावकों की भागीदारी के स्तर को मापने में अभिभावक पूरी तरह सहयोग करेंगे।
- 12 किसी भी विवाद या गलतफहमी की स्थिति में एससीसी और सीसीएस अलग-अलग और समिलित रूप से निर्णयिक प्राधिकारी होंगे।

सूचीबद्ध स्कूलों की जिम्मेदारियां




1 स्कूल, किसी भी समय मांगे जाने पर, किसी भी लाभार्थी बच्चे के उस स्कूल में शिक्षा की निरंतरता से संबंधित योग्य दस्तावेजी सबूत उपलब्ध कराएगा।

2 स्कूल लाभार्थी बच्चों के साथ भेद—भावपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा और उन पर अन्य विद्यार्थियों की तुलना में किसी भी तरह से कम ध्यान नहीं देगा।

3 स्कूल बच्चों को नए स्कूली परिवेश में ढलने और अपने अध्ययन में बेहतर करने के लिए अभिभावकों के साथ मिलकर कार्य करेगा और खुद जरुरी कदम उठाएगा।

परियोजना समय नियोजन

2009 . 2013



स्कूल वाउचर्स फॉर गल्स वाउचर परियोजना के लिए समय सीमा

संपर्क



स्कूल चयन अभियान

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी

के 36 हॉज खास एंकलेव

नई दिल्ली 110016

फोन : 26537456, 26521882

फैक्स : 26512347

ईमेल : joinus@schoolchoice.in



स्वैच्छिक शिक्षा अभियान
को सहयोग देने के लिए

धन्यवाद!

